



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2112]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2011/कार्तिक 20, 1933

No. 2112]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011/KARTIKA 20, 1933

परमाणु ऊर्जा विभाग

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

New Delhi, the 11th November, 2011

का.आ. 2526(अ).—केन्द्रीय सरकार नाभिकीय क्षति के लिए असेन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) की धारा 1 की उप-धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम के प्रावधान दिनांक 11 नवम्बर, 2011 से प्रभावी होंगे।

S.O. 2526(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 5 of Section 1 of the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (38 of 2010), the Central Government hereby declares that the provisions of that Act shall come into force on the 11th day of November, 2011.

[सं. 4/4/1/2010-ईआर]

[No.4/4/1/2010-ER]

विजय भूषण पाठक, संयुक्त सचिव

VIJAY BHUSHAN PATHAK, Jt. Secy.